

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
मुनि माया राम मार्ग, पीतमपुरा, दिल्ली
(समन्वय शाखा)

फा०सं०5(23)/2011/भाषा/ समन्वय शाखा/ प्र०त०शी०/ २०१-२॥
सेवा में

अनुस्मारक-
दिनांक:- 15/06/2022

1. सभी कुलसचिव, (DTU, NSUT, DPSRU, DSEU, IGDTUW, IIITD).
2. शाखा प्रभारी, (मुख्यालय एवं बी.टी.ई) (लेखा शाखा, सतर्कता शाखा, आबंटन शाखा, मुकदमेबाजी शाखा एवं शैक्षणिक शाखा के अतिरिक्त)
3. सभी प्रधानाचार्य, (आई. टी.आई).


विषय:- भारत सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन तथा राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की स्थिति की समीक्षा हेतु राजभाषा निरीक्षण।

महोदय\ महोदया

कृपया इस कार्यालय के सम संख्या पत्र दिनांक 31.05.2022 को देखें जिसके माध्यम से उपरोक्त विषय पर सूचना मांगी गई थी तथा तीन दिन की समयावधि में सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। तथापि, आपकी शाखा/कार्यालय द्वारा अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा गंभीरता से लिया गया है।

इस संबंध में, मुझे आपसे अनुरोध करने का निर्देश हुआ है कि आप दिनांक 17.06.2022 को शाम 05:00 बजे तक इस शाखा को अपेक्षित जानकारी प्रदान करें।


भवदीय,


(अनिल कुमार)

अनुभाग अधिकारी(समन्वय शाखा)
दिनांक:- 15/06/2022

फा०सं०5(23)/2011/भाषा/ समन्वय शाखा/ प्र०त०शी०/ २०१-२॥
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ अग्रसारित:-

1. निजी सचिव, प्रधान सचिव (प्र०त०शी०वि.)
2. निजी सचिव, निदेशक (प्र०त०शी०वि.)



अनुभाग अधिकारी(समन्वय शाखा)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
मुनि माया राम मार्ग, पीतमपुरा, दिल्ली
(समन्वय शाखा)

फा०सं०5(23)/2011/भाषा/ समन्वय शाखा/ प्र०त०शी०/ 145 - 150

दिनांक:- 31/5/2022

सेवा में

1. सभी कुलसचिव, (DTU, NSUT, DPSRU, DSEU, IGDJW, IIITD).
2. सभी शाखा प्रभारी, (मुख्यालय एवं बी.टी.ई).
3. सभी प्रधानाचार्य, (आई. टी.आई).

विषय:- भारत सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन तथा राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की स्थिति की समीक्षा हेतु राजभाषा निरीक्षण।


महोदय\ महोदया

उपरोक्त विषय में उप सचिव कला संस्कृति एवं भाषा विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र फा०सं०8(5) /2014/क०सं० एवं भाषा /747 दिनांक 18.04.2022 की प्रतिलिपि संलग्न की जा रही है।

इस संबंध में सभी सम्बंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से अनुरोध है कि उपरोक्त पत्र संख्या में दिए गए उपबंधों अनुसार अपने कार्यालय में कार्य हिंदी में करने के लिए यथोचित निर्देश देने का कष्ट करे एवं राजभाषा अधिनियम 1963" एवं राजभाषा नियमावली, 1976" को क्रियान्वित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करे। जिसकी प्रति विभागीय वेबसाइट www.tte.delhigov.nic.in पर डाल दी गई है।

यह भी अनुरोध किया जा रहा है कि अनुलग्नक 'क' में संलग्न प्रश्नावली एवं इस पर की गई विभागीय कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट को इस अनुभाग को तीन दिन में प्रेषित करे ताकि विभाग की संकलित रिपोर्ट, कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग को भेजी जा सके।

भवदीय,




(अनिल कुमार)

अनुभाग अधिकारी(समन्वय शाखा)

दिनांक:- 31/5/2022

फा०सं०5(23)/2011/भाषा/ समन्वय शाखा/ प्र०त०शी०/145 - 150
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ अग्रसारित:-

1. निजी सचिव, प्रधान सचिव (प्र०त०शी०वि.)
2. निजी सचिव, निदेशक (प्र०त०शी०वि.)
3. व्यवस्था विश्लेषक, कम्प्यूटर शाखा (प्र०त०शी०वि.) मुख्यालय, इस प्रार्थना के साथ कि संलग्न पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।



अनुभाग अधिकारी(समन्वय शाखा)